महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

प्रबन्ध बोर्ड की 71वीं बैठक का कार्यवृत

दिनांक : 05.08.2010 **प्रातः 11:30 बजे**

प्रबंध बोर्ड की 71वीं बैठक दिनांक 05.08.2010 को प्रातः 11.30 बजे बृहस्पति भवन स्थित प्रबंध बोर्ड बैठक कक्ष में आयोजित हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

1.	प्रोफेसर भगीरथ सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
2.	श्री एम..एल.पीतलिया, भीलवाड़ा (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)	सदस्य
3.	प्रो. के.के..शर्मा, अजमेर (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य)	सदस्य
4.	प्रो0 एस.एन.सिंह, अजमेर (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य	सदस्य
5.	प्रो. रमाकान्त, जयपुर (कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद)	सदस्य
6.	प्रो. पी.एस.वर्मा, जयपुर (राजस्थान सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद)	सदस्य
7.	श्री तपेश पंवार (शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर)	सदस्य
8.	श्री बी.एल.सुनारिया, कुलसचिव	सदस्य सचिव

अनुपस्थित सदस्य

1.	संभागीय आयुक्त (शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि)	सदस्य
2.	डॉ० रघुनंदन शर्मा (डॉ० रघु शर्मा), विधायक, केकड़ी (विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित)	सदस्य
3.	श्री कमल बैरवा, विधायक, निवाई (विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित)	सदस्य
4.	शासन सचिव, योजना विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
5.	निदेशक (आयुक्त), महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान, जयपुर	सदस्य

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। चुनाव आचार संहिता लगी होने के कारण बैठक में माननीय विधायकगण श्री रघु शर्मा एवं श्री कमल बैरवा, सदस्य, प्रबंध बोर्ड सम्मिलित नहीं हो सके। बैठक में चुनाव आचार संहिता लगी होने के कारण निर्धारित एजेंडे में से मात्र आवश्यक मद ही विचारार्थ रखे जाने का निर्णय किया गया। माननीय ने प्रबंध बोर्ड के सभी सदस्यों से प्रबंध बोर्ड की कार्यवाही संपादित करने में सहयोग की अपेक्षा की, तदुपरांत प्रबंध बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति उपरांत प्रबंध बोर्ड की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

मद	विवरण	अनुभाग / विभाग
मद सं. 1	प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 26.05.2010 को सम्पन्न हुई 69वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 13 (69) शैक्षणिक–I / मदसविवि / 2010 / 18506–517 दिनांक 17.06.2010 को प्रेषित की गई ।	**शैक्षणिक–I**
निर्णय	**कार्यवृत्त की पुष्टि इस प्रेक्षण के साथ की गयी कि निर्णय सं0 5 में विश्वविद्यालय की भवन निर्माण समिति एवं भवन निर्माण उपसमिति में प्रो0 के.के.शर्मा को प्रबंध बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में नामित करने का उल्लेख किया जावे।**	
मद सं. 2	दिनांक 26.05.2010 को सम्पन्न हुई 69वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना । **(परिशिष्ठ–I)** (अनुपालना रिपोर्ट अलग से प्रेषित की जायेगी)	**शैक्षणिक–I**
निर्णय	**आगामी बैठक में रखने हेतु स्थगित किया गया।**	
मद सं. 3	प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प. 3 (54) शिक्षा पार्ट–4 दिनांक 25.06.2010 **(परिशिष्ठ–1I)** अनुसार विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के संविधान एवं अन्य सम्बन्धित प्रक्रियाएँ प्रस्तावित करने हेतु माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार गठित समिति की बैठक की अनुशंषाओं **(परिशिष्ठ–III)** पर निर्णय करना ।	**डीन, छात्र कल्याण**
निर्णय	**प्रस्तावित विश्वविद्यालय छात्रसंघ संविधान में संशोधन करते हुए स्वीकार किया गया।(कार्यवृत का परिशिष्ठ–I)**	
मद सं. 4	प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 08.01.2010 की मद संख्या 22 तथा निर्णय निम्नानुसार है– **मद–** विश्वविद्यालय के सहायक कर्मचारियों को वर्तमान में देय वर्दी अलाउन्स रू0 910 / –प्रति कार्मिक ठण्डी वर्दी के लिए प्रति वर्ष और गर्म वर्दी के लिए दो वर्ष में एक बार सत्र 2002–03 से दिया जा रहा है । कर्मचारियों की मांग कि वर्दी अलाउन्स की उक्त राशि में 50 प्रतिशत वृद्दि की जाए, पर विचार करना ।	**सामान्य प्रशासन**

निर्णय–राज्य सरकार से उनके यहाँ पर दिए जा रहें उक्त अलाउन्स की राशि के बारे मे जानकारी की जावें एवं अन्य विश्वविद्यालयों से भी जानकारी प्राप्त कर अगली बैठक में विचार हेतु प्रस्तुत करें ।

उक्त निर्णय के क्रम में राजस्थान विश्वविद्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार वहां सहायक कर्मचारियों की ठण्डी एवं गर्म वर्दी के दरे क्रमशः रूपये 726/–एवं 1176/–रूपये है **(परिशिष्ठ–IV)**

सहायक कर्मचारियों की ठण्डी एवं गर्म वर्दी के अलाउन्स में वृद्वि पर विचार करना ।

निर्णय **आगामी बैठक में रखने हेतु स्थगित किया गया।**

मद सं. 5 प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 08.01.2010 की मद संख्या 23 तथा निर्णय निम्नानुसार है– **सामान्य प्रशासन**

मद– विश्वविद्यालय के सहायक कर्मचारियों को वर्तमान में देय जूता अलाउन्स की राशि रूपये 234/– प्रति कर्मचारी, सेण्डल अलाउन्स राशि रूपये 110.50 प्रंति महिला कर्मचारी , मोजा अलाउन्स रूपये 32.50 प्रति कर्मचारी, धुलाई भत्ता 59/– रूपये प्रति माह और मशीन मैन को एप्रिन एलाउन्स रूपये 300/– प्रति वर्ष सत्र 2002–03 से दिया जा रहा है । इन राशियों मे कर्मचारियों की मांग की 50 प्रतिशत की वृद्वि की जाये, पर विचार करना ।

निर्णय– राज्य सरकार से उनके यहाँ पर दिए जा रहें उक्त अलाउन्स की राशि के बारे में जानकारी की जावें एवं अन्य विश्वविद्यालयों से भी जानकारी प्राप्त कर अगली बैठक में विचार हेतु प्रस्तुत करें । उक्त निर्णय के क्रम में राजस्थान विश्वविद्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार वहां सहायक कर्मचारियों की सेण्डिल एवं जूतो की दरे क्रमशः रूपये 220/– एवं 330/–रूपये है **(परिशिष्ठ–V)**

सहायक कर्मचारियों के उक्त अलाउन्स मे वृद्वि पर विचार करना ।

निर्णय **आगामी बैठक में रखने हेतु स्थगित किया गया।**

मद सं. 6 निरीक्षण बोर्ड की दिनांक 25 मई,2010 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । **(परिशिष्ठ–VI)** **शैक्षणिक–II**

निर्णय **आगामी बैठक में रखने हेतु स्थगित किया गया।**

मद सं. 7	प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय संख्या 27 दिनांक 27.11.2009 के क्रम में विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 22 (3) (क) एवं (ख) के संबंध में प्रो. जे.पी. व्यास द्वारा प्रस्तुत विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के प्रारूपण पर विचार कर निर्णय करना । **(परिशिष्ठ–VII)** (परिशिष्ठ अलग से प्रेषित की जायेगी)	**शैक्षणिक–I**
निर्णय	**आगामी बैठक में रखने हेतु स्थगित किया गया।**	
मद सं. 8	राज्य सरकार के वित्त विभाग की आईडी संख्या 2627/वित्त व्यय–2/07 दिनांक 22.12.2007 की सहमति से सामान्य प्रशासन ग्रुप–3 विभाग, राजस्थान सरकार के उप शासन सचिव द्वारा जारी आज्ञा क्र.प. 5 (31) सा.प्र./3/82 दिनांक 29.01.2008 के आधार पर विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों के आवास पर दूरभाष की सुविधा के वर्तमान प्रावधानों की समीक्षा करने हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रो. के.सी. शर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 05.05.2010 के कार्यवृत्त **(परिशिष्ठ–VIII)** पर विचार करना ।	**सामान्य प्रशासन**
निर्णय	**आगामी बैठक में रखने हेतु स्थगित किया गया।**	
मद सं. 9	म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के अधिनियम की धारा 5 (d) के प्रावधानान्तर्गत Algae Biofuel and Biomolecules Centre (ABBC) अध्ययन केन्द्र स्थापित किए जाने के सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग के प्रस्ताव **(परिशिष्ठ–IX)** पर विचार करना ।	**सूक्ष्म जीवविज्ञान**
निर्णय	**आगामी बैठक में रखने हेतु स्थगित किया गया।**	
मद सं. 10	विश्वविद्यालय के बजट वित्त एवं लेखा नियम 1997 के नियम 156 में प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 11 जून, 2008 के मद संख्या 14 में संशोधन करते हुए S.P.C. की संस्तुतियां कुलसचिव को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया था । वर्तमान में नियंत्रण अधिकारी को ही उपक्रय समिति की संस्तुतियां अनुमोदनार्थ प्रस्तुत होगी, पर विचार करना ।	**सामान्य प्रशासन**
निर्णय	**आगामी बैठक में रखने हेतु स्थगित किया गया।**	
मद सं. 11	प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 08.01.2010 की मद संख्या 10 तथा निर्णय निम्नानुसार है– **मद–** विश्वविद्यालय के सहायक पुस्तकालयाध्क्ष द्वारा पुस्तकालय हेतु स्वीकृत एवं रिक्त पुस्तकालयाध्क्ष एवं सहायक पुस्तकालयाध्क्ष के पदो को भरने एवं पुस्तकालय हेतु आवश्य स्टाफ की आवश्यकता बाबत् दिनांक 20.11.2009 को दिये गये प्रतिवेदन **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XIII)** पर विचार करना। **निर्णय–** आवश्यकतानुसार प्राथमिकता बताते हुए तथा अन्य विश्वविद्यालयों से जानकारी प्राप्त कर अगली बैठक में रखने का निर्णय किया गया ।	**संस्थापन**

उक्त निर्णय के क्रम मे पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक मदसविवि/लिब/संस्था/497 दि. 24.05.2010 द्वारा प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवेदन पर विचार करना **(परिशिष्ठ–X)**

निर्णय **आगामी बैठक में रखने हेतु स्थगित किया गया।**

मद सं. 12 विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 25 सितम्बर 2009 का मद सं.12 एवं निर्णय निम्नानुसार हैः– **शैक्षणिक– I**

मद– विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 10 जून,2009 के मद सं. 03 के निर्णयानुसार विधि अध्ययन बोर्ड की बैठक दिनांक 08.06.2009 की कार्यसूची में समिति की संस्तुति पर पुनर्विचार करने हेतु निम्नाकिंत समिति का गठन किया गया थाः–

1. संकायाध्यक्ष कॉलेज
2. संकायाध्यक्ष विधि
3. प्रो0 के.एल.शर्मा

समिति की संस्तुतियॉ विद्या परिषद् की ओर से स्वीकार करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया । माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार उक्त समिति की दिनांक 18.08.2009 को आयोजित बैठक का कार्यवृत **(परिशिष्ठ–19)** पर विचार करना ।

निर्णय– प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाने की संस्तुति की ।

उपरोक्त निर्णय के क्रम मे समिति की संस्तुति विचारार्थ प्रस्तुत है **(परिशिष्ठ–XI)**

निर्णय **आगामी बैठक में रखने हेतु स्थगित किया गया।**

मद सं0 13 प्रबन्ध बोर्ड की निम्नांकित निर्णय सं. 10 दिनांक 07 अक्टूबर, 2006, के क्रम में वर्ष 2003 के पुनर्मूल्यांकन में हुई हेराफेरी के प्रकरण में जितने छात्रों को अनुचित लाभ प्राप्त हुआ है उनका छात्रवार विवरण परीक्षा अनुभाग द्वारा कुलसचिव के माध्यम से प्रस्तुत हुआ है। उक्त छात्रों के संबंध में प्रस्तावित की गई कार्यवाही **(परिशिष्ठ–XII)** विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 5 (ञ) एवं अध्यादेश 169 (H) के संदर्भ में किये जाने पर विचार करना। **परीक्षा**

<u>निर्णय सं. 10</u>

प्रबन्ध बोर्ड ने परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत सूचना को अभिलेखित किया। निर्णय किया कि –

(1) इस हेराफेरी प्रकरण से वास्तव में जितने छात्रों को अनुचित लाभ प्राप्त हुआ है उनकी उपाधियाँ जारी नहीं की जावे और उनके परीक्षा परिणामों को नियमानुसार निरस्त करने की कार्यवाही की जावे।

(2) प्रकरण में कुलपति महोदय विभागीय जांच उपयुक्त जांच

अधिकारी/जांच समिति के माध्यम से कराएं जो यह सुनिश्चत करे कि अंकों में की गई हेराफेरी किस स्तर पर की गई है और इस प्रकार की हेराफेरी के लिए कौन–कौन व्यक्ति दोषी है? जांच की प्रक्रिया में आवश्यक हो तो कम्प्यूटर विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जावे ।

(3) विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर केंद्र में उपयुक्त स्टाफ और संसाधन होने के कारण परीक्षा परिणाम संबंधी संपूर्ण कार्य विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर स्टॉफ द्वारा पूर्व की भांति कराया जावे। यदि संबंधित स्टॉफ में से कोई व्यक्ति कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करता है तो उसकी असमर्थता को कार्य के प्रति अकर्मण्यता और संदिग्धनिष्ठा मानते हुए विश्वविद्यालय के नियमानुसार कार्यवाही की जावे।''

निर्णय **आगामी बैठक में रखने हेतु स्थगित किया गया।**

मद सं0 14 विश्वविद्यालय के टेबुलेशन रजिस्टर में हेराफेरी की शिकायत के आधार पर दिनांक 03.04.1998 को पुलिस द्वारा मुकदमा संख्या 42/98 दर्ज करके भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा 430, 467, 471 एवं 477 में विश्वविद्यालय के सहायक कर्मचारी श्री राजकुमार कोची को गिरफ्तार करने के कारण विश्वविद्यालय के अध्यादेश 357 C-1(c) के प्रावधानानुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ. 1 ( )संस्था/ मदसविवि/ 1998/1295/दिनांक 06.05.1998 द्वारा श्री कोची को निलम्बनाधीन रखा गया है । उक्त कोची तब से निलम्बित हैं । उनके विरूद्ध कोई विभागीय जाँच लम्बित नहीं है । अतः दर्ज मुकदमे में जो भी निर्णय हो, उस निर्णय के प्रभावशील होने की शर्त के साथ श्री कोची को बहाल किए जाने पर विचार करना । **संस्थापन**

निर्णय **आगामी बैठक में रखने हेतु स्थगित किया गया।**

मद सं0 15 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की Special Area Demonstration Programme (SADP) के अंतर्गत राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में स्थापित किये जाने हेतु एम.ओ.यू. की शर्तो **(परिशिष्ठ–XIII)** पर विचार करना । **डीन, छात्र कल्याण**

निर्णय **आगामी बैठक में रखने हेतु स्थगित किया गया।**

मद सं. 16 प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 17.07.10 को सम्पन्न हुई 70वीं विशेष बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना । **शैक्षणिक–I**

उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 13 (69) शैक्षणिक–I/मदसविवि/ 2010/24135–47 दिनांक 21.07.2010 को प्रेषित की गई ।

निर्णय **पुष्टि की गयी।**

मद सं. 17 दिनांक 17.07..2010 को सम्पन्न प्रबन्ध बोर्ड की 70वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना । **(परिशिष्ठ–XIV)** **शैक्षणिक–I**

निर्णय **पुष्टि की गयी।**

मद सं. 18 माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों का अभिलेखन एवं पुष्टि करनाः–

(1) <u>प्रतिवेदन है कि</u> विश्वविद्यालय के वनस्पतिशास्त्र विभाग में प्रोफेसर के एक स्वीकृत पद के विरूद्ध प्रो0 एस0 के0 माहना, विजिटिंग प्रोफेसर वनस्पतिशास्त्र विभाग की नियुक्ति अवधि माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ. 1 (73) संस्था / मदसविवि / 2009 /40118 दिनांक 18–8–2009 की निरंतरता में दिनांक 18–8–2010 से, एक वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाई गई । तद्नुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ( )संस्था/मदसविवि/ 2010 / 24393–99 दिनांक 24–7–2010 जारी किया गया । **(परिशिष्ठ–XV)** **संस्थापन**

निर्णय **आगामी बैठक में रखने हेतु स्थगित किया गया।**

(2) <u>प्रतिवेदन है कि</u> डॉ0 एम0 एल0 वर्मा, सेवानिवृत प्रवक्ता, हाल निवास 13/245, माइक्रोवेव टावर के पास, सुभाषनगर, अजमेर को कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ( ) संस्था/ मदसविवि/ 2008/51064 दिनांक 19–11–2008 एवं क्रमांक एफ.1 ( ) संस्था/मदसविवि/2010/7195 दिनांक 05–3–2010 में वर्णित प्रावधानों एवं शर्तों के अध्यधीन सेवानिवृत शिक्षक के रूप में रूपये 10,000/– प्रतिमाह के मानदेय पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 08 माह अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार वनस्पतिशास्त्र विभाग में नियुक्त किया गया । तद्नुसार कार्यालय आदेश क्रमांक :एफ.1 ( ) संस्था/ मदसविवि/2010/ 24205–214 दिनांक 22–7–2010 जारी किया । **(परिशिष्ठ–XVI)** **संस्थापन**

निर्णय **आगामी बैठक में रखने हेतु स्थगित किया गया।**

(3) <u>प्रतिवेदन है कि</u> डॉ0 जी0 जी0 सैनी, सेवानिवृत्त प्रवक्ता, 69 महावीर कॉलोनी, पुष्कर रोड़, अजमेर को कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ( ) संस्था/मदसविवि/2008/51064 दिनांक 19–11–08 एवं क्रमांक एफ.1 ( )संस्था/मदसविवि/2010/7195 दिनांक 05–3–2010 में वर्णित प्रावधानों एवं शर्तों के अध्यधीन सेवानिवृत शिक्षक के रूप में रूपये 10,000/– प्रतिमाह के मानदेय पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 08 माह अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार वनस्पतिशास्त्र विभाग में नियुक्त किया गया । **संस्थापन**

तद्नुसार कार्यालय आदेश क्रमांक : एफ.1( )संस्था / मदसविवि / 2010 / 24195—203 दिनांक 22—7—2010 जारी किया । **(परिशिष्ठ—XVII)**

निर्णय **आगामी बैठक में रखने हेतु स्थगित किया गया।**

(4) प्रतिवेदन है कि विश्वविद्यालय में परीक्षा पी0 जी0, प्रोफेशनल एवं यू0 जी0 प्रोफेशनल से सम्बन्धित 185 परीक्षाओं के परिणाम घोषित किये जाने, सेमेस्टर परीक्षाओं एवं बी.एड. 2010 की परीक्षा 23 जुलाई से 19 अगस्त के आयोजन एवं वर्ष 2011 से सम्बन्धित परीक्षाओं के परीक्षा फार्म माह अगस्त में भरवाये जाने,, इन फार्मस की जांच व प्री कन्डक्ट वर्क आदि समस्त कार्य वर्षपर्यन्त जारी रहने एवं इन कार्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से समय पर करवाये जाने एवं अनुभाग में नियमित अधिकारी नहीं होने को दृष्टिगत रखते हुए माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था / मदसविवि / 2009 / 9348—54 दिनांक 31—12—2009 की निरंतरता में डॉ0 जी0 एन0 माहेश्वरी, सेवानिवृत सहायक—कुलसचिव मदसविवि, अजमेर की नियुक्ति फरवरी 2011 तक बढाई गई तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ( )संस्था / मदसविवि / 2010 / 24166—174 दिनांक 22—7—2010 जारी किया गया । **(परिशिष्ठ—XVIII)** **संस्थापन**

निर्णय **आगामी बैठक में रखने हेतु स्थगित किया गया।**

(5) प्रतिवेदन है कि विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में प्रोफेसर के एक एवं एसोसिएट प्रोफेसर के दो स्वीकृत पदों के विरूद्ध नियमित नियुक्ति नहीं होने के कारण प्रो. जी.एस. व्यास (सेवानिवृत्त प्रोफेसर इतिहास विभाग), 4—क—29, वैशाली नगर, अजमेर को माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार, विजिटिंग प्रोफेसर के रुप में नियुक्त किया गया तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( ) संस्था / मदसविवि / 2010 / 23127—34 दिनांक 14.07.2010 जारी किया गया । **(परिशिष्ठ—XIX)** **संस्थापन**

निर्णय **आगामी बैठक में रखने हेतु स्थगित किया गया।**

(6) प्रतिवेदन है कि डॉ0 अशोक गुप्ता, 172 / 3, गोखले मार्ग, स्टेट बैंक कॉलोनी के पास, अजमेर जिन्हें कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( ) संस्था / मदसविवि / 2010 / 2153—59 दिनांक 23.01.2010 के तहत विश्वविद्यालय में अंशकालीन आधार पर फिजिशन नियुक्त किया गया था, की नियुक्ति अवधि पूर्व में जारी आदेश के क्रम में माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार 06 माह हेतु और बढ़ाई गई । नियुक्ति की समस्त शर्ते पूर्वानुसार यथावत रहेंगी । इस संबंध में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( ) संस्था / मदसविवि / 2010 / 2055 दिनांक 03.08.2010 जारी किया जा चुका है । **(परिशिष्ठ—XX)** **संस्थापन**

निर्णय **आगामी बैठक में रखने हेतु स्थगित किया गया।**

(7) **प्रतिवेदन है कि** प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 8 जनवरी, 2010 की बैठक में निर्णय सं. 17 के अनुसार महाविद्यालयों के सत्र 2009–2010 से पूर्व वर्षों की सम्बद्धता शुल्क व विलम्ब शुल्क की कुल बकाया राशि मय बकाया राशि के 25 प्रतिशत आर्थिक दण्ड के साथ जमा कराने की तिथि 31 दिसम्बर, 2009 निर्धारित की गई थी। जो कि प्रबन्ध बोर्ड के दिनांक 8 जनवरी, 2010 के निर्णय से पूर्व की तिथि थी। उक्त प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 26.05.2010 की बैठक में प्रस्तुत किया गया था किन्तु प्रबन्ध बोर्ड द्वारा आगामी तिथि निर्धारित नहीं की गई । अतः माननीय कुलपति महोदय द्वारा 31 दिसम्बर, 2009 के स्थान पर दिनांक 31 अक्टूबर, 2010 तक मय बकाया राशि के 25 प्रतिशत आर्थिक दण्ड के साथ अनिवार्य रूप से जमा कराये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं। इस सम्बन्ध में समस्त सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों की सूचनार्थ पत्रांकः एफ.14 (   )शैक्ष.।।/ मदसविवि/2010/ 27018–333 दिनांक 02.08.2010 जारी किया जा चुका है । **शैक्षणिक–II**

निर्णय **आगामी बैठक में रखने हेतु स्थगित किया गया।**

(8) **प्रतिवेदन है कि** नेत्रहीन विद्यार्थियों के द्वारा दिनांक 20 जून, 2010 को प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर माननीय कुलपति महोदय ने सत्र 2010–2011 से नेत्रहीन छात्र–छात्राओं को विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश शुल्क एवं विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्रविष्ठ होने हेतु परीक्षा शुल्क से शुल्क मुक्ति के आदेश प्रदान किये है। माननीय कुलपति महोदय के आदेशों की अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांकः25328–686 दिनांक 27.07.2010 जारी किया जा चुका है। **(परिशिष्ठ–XXI)** **शैक्षणिक–II**

इसी प्रकार एड्स, थेलेसिमिया व केन्सर से रोगग्रस्त विद्यार्थियों एवं ऐसे विद्यार्थी, जिनके माता–पिता दोनों प्राकृतिक आपदाओं, आतंककारी हमलों एवं अन्य दुर्घटनाओं से परिपिड़ित हुए हैं, से भी कोई विश्वविद्यालय शुल्क नहीं लिए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका उल्लेख विश्वविद्यालय की विवरणिका सत्र 2010–2011 में किया जा चुका है।

निर्णय **आगामी बैठक में रखने हेतु स्थगित किया गया।**

मद सं. 19 प्रबन्ध बोर्ड के माननीय सदस्यों को प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में भाग लेने हेतु देय सिटिंग चार्जेज पर विचार करना । **शैक्षणिक–I**

निर्णय **आगामी बैठक में रखने हेतु स्थगित किया गया।**

मद सं0 20 विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों के अध्यापन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों की महाविद्यालय स्तर पर नियुक्तियां नहीं किये जाने के कारण महाविद्यालयों की नवीन अस्थायी सम्बद्धता/ सम्बद्धता वृद्धि/सीट अभिवृद्धि की सत्र 2010–2011 **शैक्षणिक–II**

की कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

सत्र 2010–2011 से महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं किये जाने पर प्रबन्ध बोर्ड के निर्णयानुसार आर्थिक दण्ड का प्रावधान किया गया है । इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना क्रमांकः 11698 दिनांक 5.05.2010 जारी की गई है। **(परिशिष्ठ–XXII)**
महाविद्यालयों द्वारा इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को सूचित किया जाता रहा है कि बार–बार विज्ञापन देने के बावजूद भी उन्हें कम्प्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताधारी शिक्षक उपलब्ध नहीं होने के कारण वे योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं ।

अतः कम्प्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों के लिये शिक्षकों की कमी/अनुपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए सत्र 2010–2011 में विश्वविद्यालय अधिसूचना के उक्त प्रावधान के सम्बन्ध में विचार कर निर्णय करना ।

निर्णय **वर्ष 2009–10 में महाविद्यालयों को कम्प्यूटर कोर्सेज में शिक्षकों की निर्धारित योग्यता में शिथिलता प्रदान कर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने का निर्णय किया गया। साथ ही वर्ष 2010–11 में शिक्षकों की योग्यता में शिथिलता प्रदान करते हुए एम.टेक. तथा एम.सी.ए. के साथ ही फिजिक्स, मेथेमेटिक्स तथा स्टेटिस्टिक्स विषय पढाने वाले योग्यताधारी शिक्षक भी बी.सी.ए. जैसे कम्प्यूटर कोर्स का अध्ययन करा सकेंगे। सत्र के दौरान महाविद्यालय योग्यताधारी शिक्षकों को जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से योग्यता निर्धारित है, के अनुसार नियुक्त करने की कार्यवाही करे। कार्यवाही रिपोर्ट जैसे विज्ञापन राज्य स्तर व राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित करवाकर विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करवाये वरना ऐसे महाविद्यालयों के लिए विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी तथा 2011–12 से महाविद्यालय के लिए सभी प्रकार के बी.सी.ए. प्रवेश पर रोक होगी व बी.सी.ए. कोर्स की महाविद्यालय से संबद्धता समाप्त हो जायेगी।**

मद सं. 21 राजकीय महाविद्यालय, भोपालगढ एवं मुल्तानमल भीकमचंद राजकीय कन्यामहाविद्यालय, बाड़मेर में सत्र 2009–2010 में वाणिज्य संकाय की नवीन सम्बद्धता हेतु आवेदन मय विलम्ब शुल्क अंतिम तिथि 30 मई के पश्चात् प्राप्त होने के कारण महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदया द्वारा शिथिलता प्रदान करते हुए सम्बद्धता की कार्यवाही किये जाने के निर्देश आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के पत्रांकः 28 दिनांक 17 फरवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त हुए। महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदया के निर्देशों की पालना में दोनों महाविद्यालयों की वाणिज्य संकाय की सत्र 2009–2010 नवीन सम्बद्धता की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। किन्तु आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के उक्त संदर्भित पत्र में दिनांक 30 मई के पश्चात् प्राप्त आवेदनों के लिये विलम्ब शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए थे। अतः इस **शैक्षणिक–II**

सम्बन्ध में आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को विश्वविद्यालय पत्रांकः 11079 दि. 30.04.2010 एवं पत्रांकः 20164 दिनांक 29.06.2010 तथा सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को पत्रांकः 20166 दिनांक 29.6.10 के द्वारा विलम्ब शुल्क के निर्धारण हेतु निर्देश प्रदान किये जाने बाबत् सूचित किया गया था, किन्तु आयुक्तालय से इस सम्बन्ध में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः नवीन सम्बद्धता की कार्यवाही लम्बित है।
प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपर के द्वारा माननीय कुलपति महोदय को प्रेषित अर्द्धशासकीय पत्रांकः 632 दिनांक 26 जुलाई, 2010 में उक्त दोनों महाविद्यालयों से बिना विलम्ब शुल्क लिए सत्र 2009–2010 में वाणिज्य संकाय में नवीन अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने हेतु सूचित गया है। (प्रति संलग्न)

अतः प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र पर विचार करना । **(परिशिष्ठ–XXIII)**

निर्णय **राजकीय महाविद्यालय, भोपालगढ़ एवं मुल्तानमल भीकमचंद राजकीय कन्या महाविद्यालय, बाड़मेर को वाणिज्य संकाय में बिना विलम्ब शुल्क के अस्थायी संबद्धता प्रदान करने का राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय किया गया।**

मद सं. 22 सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा पत्रांकः एफ. 3–1/2001 दिनांक 30 जून, 2010 के द्वारा UGC Regulations for appointment of teachers and other academic staff in Universities and Colleges and measures for the maintenance of standards in Higher Education 2010 के सम्बन्ध में नवीन मानदण्ड तत्काल प्रभाव से लागू किये गये हैं। उक्त मानदण्डों में महाविद्यालयों के लिये प्रोफेसर, असोसियेट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, पुस्तकालयाध्यक्ष, महाविद्यालय शारीरिक शिक्षा निदेशक एवं प्राचार्य के पदों पर सीधी भर्ती हेतु योग्यताएं, कैरियर एडवांसमेंट स्कीम, अवकाश नियमों के प्रावधानों के साथ संलग्न अपेंडिक्स I में संशोधित वेतनमान, अपेंडिक्स II में फिटमेंट बेनिफिट एवं अपेंडिक्स III में परफॉरमेंस बेस्ड असेसमेंट स्कीम(पीबीएएस), एन्यूअल परफॉरमेंस इंडिकेटर(एपीआई) फॉर डाईरेक्ट रिक्रूटमेंट, प्रमोशन अण्डर कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का प्रावधान किया गया है। **शैक्षणिक–II**

अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी उक्त विनियमों को विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों में लागू किये जाने हेतु अंगीकृत एवं मान्य किये जाने पर विचार कर निर्णय करना । **(परिशिष्ठ–XXIV)**

निर्णय **आगामी बैठक में रखने हेतु स्थगित किया गया।**

मद सं. 23 अनुभागाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के द्वारा पत्रांकः प.18( )शिक्षा–4/ 2010 दिनांक 25.05. 2010 के साथ संयुक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्रांकः एफ.1–7/2007(सीपीपी–।) दिनांक 29 अप्रैल, **शैक्षणिक–II**

2010 द्वारा प्रेषित UGC (Affiliation of Colleges by Universities) Regulations, 2009 विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में लागू करने हेतु भिजवाये गये हैं।

उक्त विनियम विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों एवं सम्बद्धता चाहने वाले महाविद्यालयों पर प्रभावी होगें एवं भारत सरकार की गजट अधिसूचना दिनांक 20 फरवरी, 2010 के द्वारा अधिसूचित एवं तत्काल प्रभाव से लागू किये गये हैं ।

अतः उक्त विनियमों को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के लिये सत्र 2010–2011 से लागू करने हेतु अंगीकृत एवं मान्य करने पर विचार कर निर्णय करना । **(परिशिष्ठ–XXV)**

निर्णय **आगामी बैठक में रखने हेतु स्थगित किया गया।**

मद सं. 24 महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के कार्मिकों के वेतन एवं भत्ते नियम के नियम सं. 22. fixation of pay of retired persons on re-employment और नियम सं. 23. drawl of increments जो निम्नानुसार हैं, में जहाँ–जहाँ राशि रू.8000/– प्रति माह रखी गई है उसको प्रबंध मंडल के निर्णय संख्या 17 दिनांक 14–07–2000 की अनुपालना में माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार रूपये 26,000/– किया जा चुका है और इस बाबत कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/ मदसविवि/ 2000/11357–61 दिनांक 16–9–2000 जारी किया जा चुका है । इस राशि को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू किए जाने के फलस्वरूप अधिकारी सेवा एवं शिक्षक सेवा के न्यूनतम वेतनमान की राशि के समान रू.80,000/– प्रतिमाह दिनांक 1.1.2006 से किये जाने पर विचार करना:– **संस्थापन**

22. Fixation of pay of retired persons on re-employment :

The pay of a person who has retired on Superannuation or Retiring Pension consequent to appointment or re-appointment in the University shall be fixed at the minimum of the pay scale of the post on which he is appointed/re-appointed with such other allowances admissible as per University rules unless the Vice Chancellor is convinced that (a) no person is available on the initial of the pay scale of the post concerned; (b) it will be hardship for such an appointee to be fixed at the minimum of the scale. In such cases the pay may be fixed on the basis of the last pay drawn by him less the retirement benefits/pension benefits admissible to the person concerned in such a way that the total emoluments now admissible do not exceed the emolument drawn by him last, and further subject to the condition that pay so fixed plus gross pension taken together shall not exceed Rs.8000/-* per month.

23. Drawal of increments :

The re-employed person shall be allowed to draw normal incremetns in the time scale of the post to which he is appointed

provided that the pension and gross pension taken together do not at any time exceed Rs.8000/-* per month.

* Replaced by Rs. 26000/- vide office order No. एफ.1 ( ) म.द.स.वि.वि./11357–61 दिनांक 16–9–2000

निर्णय **आगामी बैठक में रखने हेतु स्थगित किया गया।**

मद सं. 25 राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम, विधि (विधायी प्रारूपण विभाग) ग्रुप–2, अधिसूचना जयपुर दिनांक 31.07.2009 राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्यांक 12) राज्य की सेवाओं में कतिपय पिछड़े वर्गो यथा बंजारा, गाड़िया लुहारों, गुर्जरों और राईकाओं (रेबारी/देवासी) के लिए उनके शैक्षणिक और सामाजिक रूप से अत्यधिक पिछड़े होने के कारण उन्हें आरक्षण प्रदान किए हैं । **संस्थापन**

विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और अधिकारियों के पदों में नियुक्ति पर राजस्थान के विश्वविद्यालयों में शिक्षक एवं अधिकारियों की नियुक्ति हेतु चयन अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण दिया जाता है । उस अधिनियम में विधान मण्डल ने इस प्रयोजन हेतु संशोधन नहीं किया है । अतः इस परिप्रेक्ष्य में, अधिनियम, 2008 पर विचार करना । **(परिशिष्ठ–XXVI)**

निर्णय **सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा बोर्ड को अवगत कराया गया कि राजस्थान के विश्वविद्यालयों में शिक्षक एवं अधिकारियों की नियुक्ति हेतु चयन अधिनियम, 1974 के प्रावधानों में विशेष पिछड़ा वर्ग के संशोधन का प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। इस संबंध में राज्य सरकार को पत्र भेज दिया जावे।**

अन्त में अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त करते हुए बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

कुलपति कुलसचिव